न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 115/2023

1 सुवटी देवी उम्र 74 साल स्त्री महाबक्स जाति धानका निवासी बुडाना तहसील व जिला झुन्झुनूं।

अपीलांट्स

बनाम

1 मोहर सिंह उम्र 49 साल पुत्र महाबक्स जाति धानका निवासी बुडाना तहसील व जिला झुन्झुनूं।
2 प्रेमचन्द उम्र 39 साल महाबक्स जाति धानका निवासी बुडाना तहसील व जिला झुन्झुनूं।
3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झुन्झुनूं तहसील व जिला झुन्झुनूं।
4 जावित्री उम्र व्यस्क स्त्री सुमेर सिंह जाति मेघवाल निवासी बुडाना तहसील व जिला झुन्झुनूं।
5 रामभगत उम्र व्यस्क पुत्र श्योपाल जाति धानका निवासी बुडाना तहसील व जिला झुन्झुनूं।
6 सुशीला देवी उम्र व्यस्क स्त्री सत्यवीर जाति धानका निवासी बुडाना तहसील व जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक
14.09.2022 बउनवानी मुकदमा सुवटी देवी
बनाम मोहरसिंह वगै. मु.नं. 231/2014
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री मुश्ताक अली खांन, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री हरिप्रसाद सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 4/12/25

यह अपील विचारण उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू द्वारा मुकदमा नम्बर 231/2014 में पारित निर्णय दिनांक 14.09.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादिया अपीलान्ट ने एक वाद बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 620 वाके ग्राम बुडाना का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी सहमति के आधार पर डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने सिविल प्रकिया संहिता के प्रावधान व कानूनी प्रकिया कि पालना किये बिना एवं रेस्पोडेन्ट सं. 4, 5 व 6 को अपीलान्ट कि जानकारी के बिना दिनांक 18.04.2022 को आवश्यक पक्षकार बनाकर अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 14.09.2022 प्रदान की है। विचारण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट सं. 4, 5 व 6 द्वारा ना तो जवाब दावा प्रस्तुत किया गया है ना ही विचारण न्यायालय में उनके द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। रेस्पोडेन्ट सं. 4, 5 व 6 प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री दिनांक 02.05.2016 व विभाजन प्रस्ताव दिनांक 28.10.2021 के समय चूंकि आवश्यक पक्षकार नहीं रहे है। कानूनन प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री दिनांक 02.05.2016 के विपरित नाजायज व गैरकानूनी रूप से अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 14.09.2022 प्रदान की है जो कि निरस्त होने योग्य है। हल्का पटवारी व गिरदावर द्वारा नाजायज व गैरकानूनी रूप से मौके पर कब्जा काश्त के विपरित नजरी नक्शा तैयार गया है रेस्पोडेन्ट मोहर सिंह का विभाजन प्रस्ताव के

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

साथ नजरी नक्शे में 0.0351 है. भूमि जिस प्रकार दर्शाई गई है मौके पर मोहर सिंह उक्त अनुसार काबिज नहीं है इसी प्रकार जावित्री सुशीला व रामभगत भी मौके पर विभाजन प्रस्ताव अनुसार मौके पर कब्जा नहीं है विभाजन प्रस्ताव में उनका कब्जा गलत रूप से दर्शाया गया है। अपीलान्ट द्वारा वादपत्र प्रस्तुत क़रने के उपरांत उसके अधिवक्ता द्वारा दिनांक 18.04.2022 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कि कोई जानकारी नहीं दी गई ना ही दिनांक 18.04.2022 को अपीलान्ट विचारण न्यायालय में हाजिर हुई ईसी प्रकार तहसीलदार झुन्झुनूं व हल्का पटवारी व गिरदावर द्वारा विभाजन प्रस्ताव दिनांक 28.10.2021 कि कोई जानकारी दी गई ना ही अपीलान्ट को उसके अधिवक्ता द्वारा उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 14.09.2022 को बार बार पूछने पर कोई जानकारी दी गई। अपीलान्ट अब दिनांक 03.07.2023 को रेस्पो. सं. 4, 5 व 6 नाजायज व गैरकानूनी रूप से विवादित भूमि में तथाकथित विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलान्ट के हिस्से की भूमि पर जबरन कब्जा कर बेदखल करने कि धमकी दी इस पर अपीलान्ट ने अपने अधिवक्ता से अपने वादपत्र स. 231/14 के संबंध में जानकारी चाही तो उन्होंने अपीलान्ट को अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 14.09.2022 की जानकारी देने पर अपीलांट की ओर से दिनांक 05.07.2023 को पूरी पत्रावली की नकल लेने पर आवेदन करने एवं दिनांक 06.07.2023 को नकल लेने पर अंतिम निर्णय व डिक्री दिनाक 14.09.2022 की जानकारी हुई । जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर विचारण न्यायालय के अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 14.09.2022 को निरस्त फरमाया जाकर विचारण न्यायालय को इस आशय के साथ रिमांड की जावे कि मौके पर भौतिक कब्जे अनुसार पक्षकारान कि मौजूदगी में नया विभाजन प्रस्ताव तैयार कर निर्णय व डिक्री प्रदान करें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद वादी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा वादी अपीलान्ट की सहमति से दिनांक 12.05.2016 को विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। इस प्राथमिक डिक्री को वादी अपीलान्ट ने चुनौती नहीं दी है। प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीदार झुन्झुनूं द्वारा पत्र कमांक 2441 दिनांक 01.11.

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

2021 से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाये गये है। इन विभाजन प्रस्ताव के तैयार करते समय वादी अपीलान्ट मौके पर मौजूद रही है। विभाजन प्रस्ताव पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर है। विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा तैयार किये गये है। विचारण न्यायालय में उपस्थिति के बावजूद वादी अपीलान्ट द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से विधिक प्रकिया की पालना कर अंतिम डिक्री जारी की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय ने उपस्थिति के उपरांत अपील मियाद बाहर प्रस्तुत करने का युक्तिसंगत कारण अपीलान्ट द्वारा अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट मियाद के लाभ प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अपील मियाद एवं गुणावगुण दोनों पर खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय में वादिया अपीलान्ट ने एक वाद बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 620 वाके ग्राम बुडाना का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी सहमति के आधार पर डिक्री कर दिया। यहां विचारणीय तथ्य यह है कि विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न विभाजन प्रस्ताव में अंकित नजरी नक्शे के अवलोकन से विभाजन प्रस्ताव प्रथम दृष्टया ही विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है।

विभाजन प्रस्ताव की पुश्त पर अंकित नजरी नक्शे के अनुसार प्रेमचंद, सुवटि, जावित्री को मुख्य सड़क पर बराबर रकबा दिया गया है जबकि सुशीला व रामभगत को मुख्य सड़क पर भूमि नहीं दी गई है। प्रमुख तथ्य यह है कि प्रतिवादी संख्या 1 मोहर सिंह को प्रेमचंद व सुवटि व जावित्री के मध्य लंबी भूमि बिना किसी युक्ति संगत चौड़ाई के भूमि दी गई है।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

यह नजरी नक्शा देखने से प्रथम दृष्टया ही विभाजन प्रस्ताव बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस एवं विभाजन के नियम 18 से 21 के आज्ञापक प्रावधानों के विपरित होना प्रकट होता है। इस विभाजन प्रस्ताव के आधार पर पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचंन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जात है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष की उपस्थिति में विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना में तहसीलदार से पुनः विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.12.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 4/12/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
सीकर

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)